R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड XI ◆ अंक 4
अक्टूबर 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

अपने ग्राहक को जाने मानदण्डों का सरलीकरण

रिज़र्व बैंक ने 21 अक्टूबर 2014 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र के बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट किया है कि:

(i) बैंकों को उन ग्राहकों से सावधिक अद्यतन के समय पहचान और पते के नए प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है जिन्हें उनकी पहचान और पते के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने पर 'न्यूनतर जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्राहक द्वारा इस आशय का एक स्वप्रमाणन-ऐसे मामलों में पर्याप्त है। ऐसे 'न्यूनतर जोखिम' वाले ग्राहकों के पते में परिवर्तन के मामले में वे मेल/डाक द्वारा केवल दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति (पते का प्रमाण) भेज सकते हैं। बैंक सावधिक अद्यतन के समय ऐसे न्यूनतर जोखिम वाले ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आग्रह न करें।

(ii) यदि किसी बैंक का अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) अनुपालित विद्यमान ग्राहक उसी बैंक में कोई दूसरा खाता खोलना चाहता हो तो इस प्रयोजन के लिए पहचान और/अथवा पते के प्रमाण का नया प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

यदि कोई ग्राहक बारंबार स्मरण दिलाने के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है तो लागू अनुदेशों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के द्वारा खाता धारक को अपने खाते को पुनः चालू करने की अनुमति देते हुए बैंक ऐसे खातों पर चरणबद्ध तरीके से 'आंशिक रोक' लागू कर सकते हैं। 'आंशिक रोक' लागू करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि केवाईसी अपेक्षा का पालन करने के लिए ग्राहक को प्रारंभ में तीन महीने की एक नोटिस देने के बाद आंशिक बंदी का विकल्प कार्यान्वित किया जाए जिसके बाद और तीन महीने की अवधि देते हुए एक अनुस्मारक भेजा जाए और उसके बाद खाते बंद करने की स्वतंत्रता के साथ सभी जमा की अनुमति और निकासी को रोकते हुए आंशिक बंदी लागू की जाए। यदि वह खाता प्रारंभिक आंशिक बंदी लागू करने के छह महीने के बाद केवाईसी के लिए अनुपालित नहीं रहता है तो बैंक उसे अपरिचालित बनाते हुए खाते से सभी जमा और निकासी की अनुमति बंद कर सकते हैं। बैंक के लिए यह सर्वदा खुला है कि ऐसे ग्राहकों के खाते बंद कर दें।

यह स्पष्टीकरण काला धन प्रतिबंध अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं नियमावली (पीएमएलआर) के समग्र ढांचे के भीतर रहते हुए केवाईसी अपेक्षाओं के अनुपालन में ग्राहकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जारी किया गया था।

पते के प्रमाण पर स्पष्टीकरण

पूर्व में 13 अक्टूबर 2014 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को अनावश्यक रूप से ऐसे मामलों में वर्तमान पते के लिए पते का अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा जाए जहां स्थायी पते के लिए पतों का प्रमाण पहले से उपलब्ध है। रिज़र्व बैंक ने अधिक से अधिक 17 अक्टूबर 2014 तक इस बात की पुष्टि करने के लिए भी बैंकों को सूचित किया था कि उन्होंने अपनी सभी शाखाओं को यह अनुदेश सूचित कर दिया है।

यह स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने के बाद जारी किया गया था कि केवाईसी मानदण्डों के सरलीकरण के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद ग्राहक अपेक्षाओं के सावधिक अद्यतन का अनुपालन करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और कुछ बैंक किसी ग्राहक द्वारा स्थायी पते का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बाद भी वर्तमान पते के लिए पते का प्रमाण प्रस्तुत करने का अभी भी आग्रह कर रहे है जिससे कई संभावित ग्राहक खासकर प्रवासी मजदूर बैंक खाते खोलने में बाधा महसूस कर रहे हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
• अपने ग्राहक को जाने मानदण्डों का सरलीकरण	1
• चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15	2
• परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता	2
• निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं	2
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• अन्य बैंक के एटीएम पर निःशुल्क एटीएम लेनदेन	2
• चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) : सरकारी चेक	2
सहकारी बैंकिंग	
• सुव्यवस्थित और वित्तीय दृष्टि से मजबूत (एफएसडब्यूएम) शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के लिए मानदंड	3
• शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा	3
• केवाईसी मानक - जनता के बीच जागरूकता का निर्माण	3
• पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु साधन	3
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• केन्या के साथ पर्यवेक्षी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन	3
• अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - वर्ष 2014-15	4
फेमा	
• जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन - हेजिंग	4
• भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार	4
• फेमा के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग	4

चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15

डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर द्वारा चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 मुंबई में 30 सितंबर 2014 को घोषित किया गया। वर्तमान और उभरती हुई समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया गया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को 8.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली चलनिधि को 10 अक्टूबर 2014 से पात्र निर्यात क्रेडिट बकाया के 32 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए;
- बैंक-वार निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो के अंतर्गत चलनिधि तथा बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए;
- चलनिधि की आसान पहुंच के लिए एक-दिवसीय सावधि रिपो नीलामियां और प्रत्यावर्तनीय रिपो नीलामियां जारी रखी जाएं।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) और बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय बनी रहेंगी।

पांचवा द्विभाषिक मौद्रिक नीति वक्तव्य मंगलवार, 2 दिसंबर 2014 को आयोजित किया जाएगा।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता

बैंकों को 9 अगस्त 2014 से अनुमति दी गई थी कि वे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेशों की 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा सकते हैं बशर्ते इस आधिक्य में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां हों और परिपक्वता तक धारित श्रेणी में कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24.00 प्रतिशत से अधिक न हों।

सरकारी प्रतिभूति बाजार का और विकास करने तथा चलनिधि को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की उच्चतम सीमा को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24 प्रतिशत से क्रमिक रूप ने नीचे लाते हुए 22 प्रतिशत किया जाए। तदनुसार, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत अपने कुल निवेशों की 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा सकते हैं बशर्ते

(ए) इस आधिक्य में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल रहें और

(बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां

- 10 जनवरी 2015 से 23.50 प्रतिशत
- 04 अप्रैल 2015 से 23.00 प्रतिशत
- 11 जुलाई 2015 से 22.5 प्रतिशत और
- 19 सितंबर 2015 से 22.00 प्रतिशत से पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनके डीटीएल से अधिक न हों।

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक वर्ष में एक बार अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से निवेशों को परिपक्वता तक धारित में बदल सकते हैं/परिपक्वता तक धारित से निवेशों में बदल सकते हैं और ऐसे बदलावों की अनुमति सामान्यतः लेखा वर्ष की शुरूआत में दी जाएगी। रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बैंकों को अपनी अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों को परिवर्तित करने की अनुमति जनवरी, जुलाई और सितंबर 2015 के शुरू में दी जाए । यह लेखा वर्ष की शुरूआत के समय अर्थात अप्रैल 2015 में अनुमत परिवर्तन के अतिरिक्त होगा। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)/कारोबार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में ऐसे अंतरण को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री के मूल्य और अंतरण पर निर्धारित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त होगी।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2014 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अलावा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के 32 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 10 अक्टूबर 2014 से पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

अन्य बैंक के एटीएम पर निःशुल्क एटीएम लेनदेन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2014 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे अन्य बैंक के एटीएम पर अपने ग्राहकों को 1 नवंबर, 2014 से अनिवार्यतः निम्ननुसार सेवाओं की आपूर्ति करें :

(i) अपने बचत बैंक खाता ग्राहकों को अन्य बैंक के एटीएम पर, एटीएम के स्थान का विचार किए बगैर एक माह में पाँच लेनदेनों (वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों सहित) के लिए कोई शुल्क न लगाएं ।

(ii) छह मेट्रो केन्द्रों अर्थात मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूर और हैदराबाद में स्थित अन्य बैंकों के एटीएम पर तीन लेनदेन (वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों सहित) निःशुल्क होंगे।

(iii) अगर दोनों केंद्रों अर्थात छह मेट्रो केन्द्रों और मेट्रो केन्द्रों के अलावा अन्य स्थानों से लेनदेन (वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों सहित) किए जाते हैं तो अन्य बैंक के एटीएम पर किए जाने वाले निःशुल्क लेनदेनों की कुल संख्या पांच में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

तथापि, बैंक सभी स्थानों पर स्वयं के अथवा अन्य बैंक के एटीएम पर एक माह में ज्यादा निःशुल्क लेनदेन की अनुमति दे सकते हैं। बैंक निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए निःशुल्क लेनदेनों का संयोजन (मेट्रो केन्द्रों और गैर मेट्रो केन्द्रों से) करने के लिए स्वतंत्र है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) : सरकारी चेक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2014 को सभी बैंकों को सूचित किया कि संबंधित सरकारी विभागों को अदा किए गए सरकारी चेक वापस भेजने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करने से संबंधित हमारी संधोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख तीन माह अर्थात 1 जनवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले 18 सितंबर 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ने संबंधित सरकारी विभागों को अदा किए गए सरकारी चेक वापस भेजने संबंधी अपेक्षा 1 अक्टूबर 2014 से समाप्त करने को अनुमोदित कर दिया है।

चेकों के समाशोधन संबंधी दक्षता को बढ़ाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेकों के समाशोधन हेतु चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का प्रारंभ किया जा चुका है, ताकि चेकों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे बिना ही उन्हें प्रस्तुत करने और उनका भुगतान करने में सुविधा हो।

सहकारी बैंकिंग

सुव्यवस्थित और वित्तीय दृष्टि से मजबूत (एफएसडब्यूएम) शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के लिए मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) को सूचित किया कि निम्न शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक आगे से सुव्यवस्थित और वित्तीय दृष्टि से मजबूत (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में कहलाएंगे:

- सीआरएआर 10% से कम नहीं;
- सकल अनर्जक आस्तियां 7% से कम हो और निवल अनर्जक आस्तियां 3% से अधिक न हो;
- पिछले चार सालों में से कम-से-कम तीन वर्षों में निवल लाभ दर्ज किया गया हो, बशर्ते कि पूर्व के साल में निवल हानी नहीं हुई हो;
- पिछले वित्तीय वर्ष में सीआरआर /एसएलआर बनाए रखने में चूक न हो;
- सृदृढ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ बोर्ड पर कम से कम दो वृत्तिदक्ष निदेशक हो;
- सीबीएस का पूर्णतः अनुपालन किया गया हो; और

विनियामक सहूलियत, अर्थात इस प्रकार के शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुपालन का रिकार्ड अच्छा सिद्ध हुआ हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/ निदेश का अनुपालन संतोषजनक हो, विनियामकीय अनुपालन का रेकॉर्ड त्रुटिहीन हो और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश/मार्गनिर्देश के उल्लंघन के लिए बैंक को चेतावनी पत्र/सचेतक सूचना जारी न किया गया हो या मौद्रिक जुर्माना न लगाया गया हो।

शहरी सहकारी बैंकों से ऑन-साईट/ऑफ साईट/मोबाईल एटीएम खोलने, वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में विस्तार, परिसर का स्थानांतरण और भारतीय रिज़र्व बैंक से अन्य सभी अनुमोदन हासिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों को संसाधित करते वक्त नए मानक के अनुसार विचार किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 अक्तूबर 2014 को ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के मद्देनज़र, यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी शहरी सहकारी बैंकों जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को पूरी तरह से लागू किया है तथा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 4 (IPv4) से इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6 (IPv6) में परिवर्तित हुए हैं, को अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग (केवल दृश्य रूप में) की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि वे निर्धारित सुरक्षा विशेषताओं का अनुपालन करते हों। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार की इंटरनेट बैंकिंग (केवल दृश्य रूप में) सुविधा प्रदान करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों के लिए जो ऑन-लाइन सेवाएं प्रदान करते हैं वे सेवाएं सिर्फ गैर-निधि आधारित होती हों जैसे शेष राशि संबंधी पूछताछ (बैलेंस इंक्वायरी), शेष राशि देखना, खाता विवरण डाउनलोड करना, चेक-बुक जारी करने के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत करना आदि तथा निधि-आधारित ऑन-लाइन लेनदेन की अनुमति नहीं देते हों। इंटरनेट बैंकिंग (केवल दृश्य रूप में) की सुविधा प्रारंभ करने वाले शहरी सहकारी बैंक इस सुविधा की शुरुआत होने के एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना दें।

दावा रहित जमाराशियों के उपयोग के लिए सुझाव मांगे गए

विभिन्न लघु बचत योजनाओं में पड़ी दावारहित राशियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति (अध्यक्ष : श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) ने डाकघरों और बैंकों में विभिन्न लघु बचत योजनाओं में पड़ी दावा रहित जमाराशियों का वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उचित उपयोग पर सुझाव/विचार आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति/संगठन अपने सुझाव/विचार संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्था, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 'ए' ब्लॉक, चौथी मंजिल, सीजीओ कांप्लेक्स, सेमीनरी हिल्स, नागपुर- 440006 को 15 नवंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं या द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय बचत संस्था समिति को सचिवीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

केवाईसी मानक - जनता के बीच जागरूकता का निर्माण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2014 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया कि अपनी सभी शाखाओं में जनता को जागरूक बनाने के लिए और केवाईसी मानकों के सरलीकरण उपायों का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए बैंक खाता खोलते वक्त अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न समेत एक पोस्टर और पुस्तिका परिचालित करें । शाखाओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों एवं आम जनता के लिए पुस्तिका उपलब्ध कराएं और अपने परिसर में पोस्टर को प्रधान रूप से प्रदर्शित करें। इस संदर्भ में हुई प्रगति की पुनरीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समय पर की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता को बैंक खाता खोलने में सहायता देने के उद्देश्य से केवाईसी जरूरतों को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। फिर भी, यह पाया गया है कि इस प्रकार के उपायों के बावजूद इनको पर्याप्त प्रचार न दे पाने के कारण सामान्य जनता को आज भी बैंक खाता खोलने में समस्या आती है और आम आदमी बैंक खाता खोलने के संदर्भ में मूल जानकारी नहीं रखता। इन समस्याओं के समाधान के लिए, जनता को जागरूक बनाने के लिए और केवाईसी सरलीकरण उपायों का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक पोस्टर और पुस्तिका जारी की है और बैंकों द्वारा उपयोग के लिए उसे अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध किया है।

पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु साधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2014 को सभी राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/ सीसीबी) को अनुमति दी है कि वे अपने उप विधि (बाय लॉज)/जिस सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत वे पंजीकृत हैं उसके प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयक के अनुमोदन से दीर्घकालिक (सबोर्डिनेटेड) जमाराशियां (एलटीडी) जारी कर सकते हैं। एलटीडी सदस्यों तथा संबंधित एसटीसीबी/सीसीबी के परिचालन क्षेत्र से बाहर के सदस्यों सहित गैर सदस्यों को जारी की जा सकती हैं। विद्यमान शेयरधारियों के एलटीडी में अभिदान करने पर कोई पाबंदी नहीं है। निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए एलटीडी के माध्यम से जुटाई गई राशियां न्यूनतर टीयर II पूंजी के रूप में मानी जाने की पात्र होंगी।

बैंकिंग पर्यवेक्षण

केन्या के साथ पर्यवेक्षी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 अक्टूबर 2014 को सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या के साथ एक समझौता ज्ञापन ''पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी सूचना का विनिमय'' पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रो. नुगुना नंग्युवु, सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर ने हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर और श्री चंदन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक उपस्थित थे।

इसके साथ रिज़र्व बैंक ने ऐसे 22 समझौता ज्ञापनों तथा पर्यवेक्षी सहयोग के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रिज़र्व बैंक प्राधिकारियों के बीच व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा पर्यवेक्षी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए अन्य देशों के पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन और पर्यवेक्षी सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर करता रहा है।

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - वर्ष 2014-15

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2014-15 के लिए तीन विषयों की घोषणा की है। वे हैं :

(i) रिटेल बैंकिंग का भविष्य;

(ii) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र - चुनौतियां और अवसर;

(iii)ग्राहक सेवा में इंटरनेट बैंकिंग का महत्व

प्रतिभागी इनमें से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध प्रेषित कर सकते हैं। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2014 है। प्रतियोगिता के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नानुसार हैं :

- निबंध के लिए शब्दों की सीमा लगभग 3000 से 4000 तक रखी गई है I
- निबंध हिंदी में क्वार्टो साइज कागज पर एक ओर टाइप किया हुआ होना चाहिए । हाथ से लिखे हुए निबंध भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे साफ-साफ लिखे गए हों और आसानी से पढ़े जा सकते हों।
- प्रथम पुरस्कार की राशि 11,000/-, द्वितीय पुरस्कार की राशि 7,000/- तथा तृतीय पुरस्कार की राशि 5,000/- है।
- प्रत्येक सहभागी को संलग्न फार्म (अनुलग्नक 'क' और 'ख') के अनुसार अपने संबंधित बैंक के माध्यम से अपनी मातृभाषा सूचित करते हुए यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनका निबंध मौलिक है तथा उन्होंने उसे अन्यत्र पुरस्कार या प्रकाशन के लिए नहीं भेजा है।
- प्रतियोगी द्वारा निबंध पर कहीं नाम, पता आदि नहीं लिखा होना चाहिए अन्यथा प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करता है। सभी स्टाफ सदस्य (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे अपने स्टाफ को सूचित करते हुए प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी अपनी गृहपत्रिकाओं/हिंदी नियतकालिकों में एवं अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें।

फेमा

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन - हेजिंग

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2014 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-।) बैंकों को सूचित किया है कि आयातकों को विगत निष्पादन मार्ग के अंतर्गत पात्रता सीमा के 100 प्रतिशत तक फारवर्ड संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाए। जिन आयातकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछली पात्रता सीमा के 50 प्रतिशत तक संविदाएं पहले ही बुक कर ली हैं, वे बढ़ायी गई सीमा के अंतर तक के लिए और पात्र होंगे।

भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार

रिज़र्व बैंक ने 3 सितंबर 2014 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-।) बैंकों को सूचित किया है कि मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता निम्निलिखित शर्तों के तहत भारतीय रुपए में ऋण दे सकते हैं: i) उधारदाता द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से स्वैप के मार्फत भारतीय रुपए जुटाए जाने चाहिए, ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार संविदा, मामले के अनुसार, स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के बाबत लागू सभी अन्य शर्तों को पूरा करती हो, iii) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा प्रचलित बाजार शर्तों के अनुरूप हो, iv) भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी स्वाप को कार्यान्वित करने के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता, यदि चाहे, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, भारत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकता है, v) अनिवासी ईक्विटी होल्डर द्वारा दिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत हैं, प्रचलित हेजिंग व्यवस्था के उपबंधों से विनियमित होते रहेंगे।

फेमा के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अक्तूबर 2014 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के तहत हुए कुछ चयनित उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए, अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया । इन उल्लंघनों में शामिल हैं -:

- विदेशी मुद्रा प्रस्तुत करने में विलंब - निवासी से अनिवासी को शेयरों के अंतरण के मामले में फार्म FC-TRS के प्रस्तुतीकरण में विलंब।
- अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के मामले में फार्म FC-TRS के प्रस्तुतीकरण में विलंब।
- प्रमाणित फार्म FC-TRS के अभाव में, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा शेयरों के अंतरण को रेकार्ड में लेना।

आगे, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष नई दिल्ली से संबद्ध अधिकारी अब निम्नलिखित उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए प्राधिकृत किए गए हैं :

- भारत से बाहर अचल संपत्ति के अर्जन एवं अंतरण से संबंधित उल्लंघन
- भारत में अचल संपत्ति के अर्जन एवं अंतरण से संबंधित उल्लंघन
- भारत में शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय की स्थापना से संबंधित उल्लंघन
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत आने वाले उल्लंघन

उल्लंघनों को, उल्लंघन राशि की सीमा पर विचार किए बिना, कंपाउंड करने की शक्तियां क्रमशः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली में प्रत्यायोजित की जाती हैं। पणजी और कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय एक सौ लाख रुपये (1,00,00,000/-) से कम के उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। पणजी और कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के एक सौ लाख रुपये (1,00,00,000/-) से अधिक के ऐसे उल्लंघनों तथा फेमा के तहत हुए सभी अन्य उल्लंघनों की कंपाउंडिंग अब तक की भांति फेमा के प्रभावी कार्यान्वयन कक्ष (सेफा),मुंबई द्वारा की जाएगी।

इन उल्लंघनों से संबंधित कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पत्र, उनमें उल्लिखित राशि तक के लिए, संबंधित एंटिटियों द्वारा क्रमशः उन क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अधिकार क्षेत्र में वे आती हैं अथवा विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी अन्य उल्लंघनों के लिए, आवेदनपत्र सेफा, विदेशी मुद्रा विभाग, 5 वीं मंजिल, अमर भवन, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**